APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

प्रार्थी गौरव वैष्णव बनाम अप्रार्थी सुरेश जयसवाल वगैराह

किस्म मुकदमा–(प्रार्थना पत्र) 212-RTA प्रकरण संख्या– 8 / 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-6-2020	पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री गौरव वैष्णव पिता हितेश कुमार जाति जयसवाल निवासी [illegible] द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 विरूद्ध अप्रार्थीगण श्री सुरेश जयसवाल पिता [illegible] जाति जयसवाल निवासी [illegible] के पेश किया गया। अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 08/7/20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा	
08/7/2020	पत्रावली पेश। कोरोना (कोविड–19) महामारी फैलने से न्यायिक कार्य बन्द है। पत्रावली पूर्व आदेश नोटिस तलबी दिनांक 30-07-2020 को पेश हो। [signature]	
30-7-2020	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या-3 का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ। [illegible] श्रीमान एसडीओ साहब आज अन्य राजकार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते [illegible] तलबी दिनांक 25-8-2020 को पेश हो। [signature]	
25-8-2020	पत्रावली पेश। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम जारी नोटिस तामिल/अदम तामिल प्राप्त नहीं हुए। पुनः तलबाना पेश करो पत्रावली वास्ते तलबाना/तलबी दिनांक 11-9-2020 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:55 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-6-22	पत्रावली पेश हुई [illegible] उपस्थित पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 27-6-22 को पेश हो। sd	
27-6-22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उप० आये। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 29.6.22 को पेश हो। sd	
29.6.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उप० आये। पत्रावली का अवलोकन अध्ययन करने पर जाहिर हुआ कि प्रार्थी [illegible] आराजी का काश्तकार है। प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी (अप्रार्थी) सं. 1 व 2 को [illegible] ग्राम [illegible] अन्तर्गत निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रा० फिनल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। sd उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाँसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र रेगर (RAS)

प्रकरण सं. – 8/2020

दायर तारीख – 29.6.20

उनवान

गौरव वैष्णव पिता दिनेश कुमार वैष्णव नि. चिड़ियावासा

(प्रार्थी)

बनाम

1. सुरेश चन्द्र जायसवाल पिता सुन्दर लाल नि. बांसवाड़ा
2. राजेन्द्र कुमार पिता शंकर लाल मोची मोचीवाड़ा बाँसवाड़ा
3. तहसीलदार, बाँसवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित –

1. श्री समर पंड्या – अधिवक्ता प्रार्थी
2. " हीरा लाल जैन – अधिवक्ता अप्रार्थी 1 & 2

– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. –

-: निर्णय :-

दिनांक – 29/6/22

संक्षेप में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सेमालिया प. ह. घलकिया में स्थित ख. नं. 400/217/2 रकबा 10 बिस्वा प्रार्थी की कब्जे, खातेदारी की आराजी है जो मोदर लाल, नारायण लाल पि. स्व. चुन्नी लाल से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2002 क्रय की तब से काबिज काश्त है। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 2 दिनांक 13.6.2020 को मेरी कब्जे काश्त की उक्त आराजी पर [illegible] जाने की एलानिया धमकियां [illegible] की है उक्त वाद ग्रस्त आराजी [illegible] मामला तथा विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। प्रथम [illegible] अपूरणीय क्षति व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध भी मुझ प्रार्थी को ही होगी यदि [illegible] . . .

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:55 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं. 1 व 2 जारी नहीं की गयी।

अतः प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे-काश्त की आराजी ख. नं. 400/217/2 रकबा 10 बिस्वा ग्राम सेमलिया पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल-अंदाजी, अतिक्रमण इत्यादि न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें, इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा फरमावें।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता हीरालाल जैन जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र में चाहे गये अनुतोष को ही बहस समझा जावें। प्रत्युत्तर में अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 को पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है। अप्रार्थी सं. 2 की पत्नी नयना देवी के नाम ख. नं. 1154/238 रकबा 1-05 खातेदारी भूमि तथा पुत्री नन्दनी वकील के नाम ख. नं. 1854/1154/238 रकबा 1 बीघा खातेदारी की होकर काबिज काश्त है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि उक्त ख. नं. 1154/238 व 1854/1154/238 पर किसी प्रकार की दखल-अंदाजी न करे और न ही किसी अन्य से करावें।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर किया। दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2059-62 [illegible] सेमलिया ख. नं. 400/217/2 रकबा 10 बिस्वा खातेदार [illegible] वल्लभ के नाम दर्ज है। विक्रय पत्र में [illegible] 10 बिस्वा भूमि ख. नं. 400/217/2 विक्रय किया जाना अंकित है।

जाहिर है कि उक्त वादग्रस्त ख. नं. पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 का कोई संबंध प्रमाणित नहीं होता है। प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:55 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड खातेदार होने व उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होकर सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति का अवलम्बन भी प्रार्थी के पक्ष में स्वतः प्रमाणित है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाना उचित प्रतीत होता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त ख. नं. 400/217/2 रकबा 10 बिस्वा ग्राम सेमलिया प. ह. घलकिया पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूलवाद पाबंद किया जाता है कि वे उक्त वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार की दखलअंदाजी, अतिक्रमण इत्यादि न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ संलग्न की जावें।

निर्णय लिखा जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

दिनांक- 29/6/22

पीठासीन अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी बाँसवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 12:59:55 IST
Reason: SelfAttested